मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पांचवाँ तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
बिट्टन मार्केट, भोपाल 462016
फोनः 0755–2430154, 2463585 फैक्स– 0755–2981055
वेबसाइटः www.mperc.in ई–मेलः secretary@mperc.nic.in

क्र. 1409 दिनांकः 23 /09/2021

सार्वजनिक सूचना

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर (एमपीपीटीसीएल) द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 तथा 64 सहपठित, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण–टैरिफ अवधारणा संबंधी नियम एवं शर्तें) विनियम, (रिवीजन– IV) 2020, {आर जी. 28–(IV) 2020} के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 का पारेषण टैरिफ सत्यापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे कि **याचिका क्रमांक 41/2021** पंजीकृत किया गया है।

एमपीपीटीसीएल की वर्ष 2019–20 हेतु पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.64% एवं पारेषण हानि 2.59% रही है। एमपीपीटीसीएल की वर्ष 2019–20 की राज्यीय पारेषण क्षमता 19742.32 मेगावाट को तीनों विद्युत वितरण कंपनियों, एमपीआईडीसी (एसईजेड) तथा पश्चिम मध्य रेल्वे को आवंटित किया गया है। एमपीपीटीसीएल द्वारा विषयांकित याचिका में, परीक्षित लेखा के अनुसार, वर्ष 2019–20 हेतु रू. 36.12 करोड़ की सत्यापित राशि को निम्नलिखित लागत मदों में अनुज्ञेय किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

(रू. करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दि. 19.05.2021 के द्वारा अनुमोदित ए.आर.आर.	प्रस्तुत पुनरीक्षित याचिका में परीक्षित लेखा के आधार पर	सत्यापित राशि (4–3)
1	2	3	4	5
1.	संचालन एवं संधारण व्यय	556.68	556.68	0.00
2	सेवान्त प्रसुविधा नगद व्यय	1834.01	1834.01	0.00
3.	अवमूल्यन	455.50	432.12	-23.38
4	ऋण पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	152.36	186.38	34.02
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	70.03	69.28	-0.75
6.	अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	498.93	497.64	-1.29
7.	पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के लाईसेंसी को किये जाने वाले भुगतान	37.80	35.43	-2.37
8.	पीजीसीआईएल को देय ओ.पी.जी. डब्ल्यू. प्रभार	2.47	2.47	0.00
9	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क	0.77	0.01	-0.76
10.	कर एवं शुल्क (म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क के अतिरिक्त)	1.98	2.24	0.26
11.	सुरक्षा व्यय	22.74	19.54	-3.20
12.	**कुल**	**3633.27**	**3635.80**	**2.53**
13.	नॉन टेरिफ आय (–)	23.00	25.81	2.81
14.	**कुल**	**3610.27**	**3609.99**	**-0.28**
15	वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु न्यूनतम वैकल्पिक कर की भुगतान की गई राशि	0.00	5.32	5.32

सरल क्रमांक	विवरण	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दि. 19.05.2021 के द्वारा अनुमोदित ए.आर.आर.	प्रस्तुत पुनरीक्षित याचिका में परीक्षित लेखा के आधार पर	सत्यापित राशि (4–3)
16	वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु न्यूनतम वैकल्पिक कर की भुगतान की गई राशि	0.00	8.90	8.90
17	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु न्यूनतम वैकल्पिक कर की भुगतान की गई राशि	0.00	18.75	18.75
18	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु न्यूनतम वैकल्पिक कर की भुगतान की गई राशि	0.00	3.43	3.43
	कुल योग	**3610.27**	**3646.39**	**36.12**

वे व्यक्ति जो उपरोक्त याचिका से संबंधित अपने विचार/टीप/आपत्तियॉ/सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे उन्हें आवश्यक अभिलेखों तथा साक्ष्यों के साथ संलग्न कर सीधे **सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पांचवॉ तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल 462016 को, तथा कंपनी के लिए एक प्रति कार्यपालक निदेभाक (सी आर ए) ; मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ब्लाक नं. 3, शक्ति भवन, जबलपुर–482008** के नाम प्रेषित कर सकते हैं, जो कि इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस में आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। विचारों/आपत्तियों/सुझाव की अग्रिम प्रतिलिपियॉ आयोग को फैक्स (0755–2981055) तथा ई–मेल **(secretary@mperc.nic.in)** द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती हैं। **इस हेतु शपथ पत्र लगाया जाना आवश्यक नहीं है।**

इच्छुक व्यक्ति द्वारा याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे के मध्य, आयोग कार्यालय से अथवा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के जबलपुर स्थित कार्यालय से रु. 200/– की नगद राशि का भुगतान कर अथवा किसी अनुसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा, जो एम.पी.ई.आर.सी. को देय तथा भोपाल में भुगतान योग्य हो या जो क्षेत्रीय लेखाधिकारी एमपीपीटीसीएल, को देय तथा जबलपुर में भुगतान योग्य हो, प्राप्त की जा सकती है। याचिका की एक प्रति रु. 50/– डाक व्यय हेतु अतिरिक्त भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका का विवरण आयोग की वेबसाईट **www.mperc.in** पर निशुल्क उपलब्ध है।

इस प्रकरण में जन–सुनवाई का आयोजन दिनांक **26/10/2021** को प्रातः **11:00 बजे** किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित विचार, टीप, आपत्तियाँ या सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग को भेजकर उक्त जन–सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव